

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 31/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये बनाम

श्री. रोहन पुत्र स्त्री

पटवारी हल्का रागाफट

जाति सुकलगा निवासी देवाजी  
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./मनु । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रागाफट ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देवाजी के खसरा नम्बर 2447 रकबा 91.03 बीघा में से 0.03 बीघा किस्म ईरमु जोयत राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णाक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरें 5000 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भूअ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

(1000)  
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50 फसल नि. ....  
कुल योग 50 जि.के पृष्ठ सं. 30  
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार